


प्रतिवादी शायिबकता ३, ५ द्वारा निवेदन
किता गमा की वादी द्वारा पेश प्रा फ्त 023
R1 का निर्णय दिष्ट जाने के आदेश मायनीप
राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा दिष्ट गए हैं
अतः पहले उसका निस्तारण किया जाये।
निर्णय का अवलोकन किया गया। निर्णय में
विद्वां हेतु लम्बित प्रा फ्त अन्तर्गत आदेश
23 नियम 1 सी पी सी का शीघ्र निस्तारण
हेतु निर्देशित किया गया है। प्रतिवादी द्वारा
पेश प्रा फ्त 023 R1A का निस्तारण कर
वादी के विद्वां प्रा फ्त पर निर्णय देना शिथिल
है। अतः लम्बित प्रा फ्त पर निर्णय हेतु
पत्रावली दिनांक 23/8/22 को पेश है।



23/8/22

पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी
अवकाश पर है/दौर पर है/दीगर
राज कार्या में व्यस्त है/.....
अतः पत्रावली दिनांक 23/8/22
को पेश हो।

मालती Ind
किरपूर
AD

24/8/22

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी शायिबकता 1, 2, 3, 4 व 7 से 9 उपस्थित। प्रतिवादी
संख्या 7 से 9 द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते राजीनामा
अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 CPC के तहत पेश
कर वाद को विद्वां किये जाने के आदेश
करने हेतु निवेदन किया गया है। पत्रावली से
पूर्व में वादी की ओर से वाद विद्वां का
प्रार्थना पत्र पेश किया जा चुका है। चूँकि प्रतिवादी

